



Neutral Citation No. - 2026:AHC:178584

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 789**

**सन् 2026**

शुभम सिंह

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

---

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार सिंह, संजीव कुमार खरे

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या - 72**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आज दाखिल किया गया दूसरा अनुपूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया गया।

3. इस प्रकरण में आवेदक **शुभम सिंह** को इस न्यायालय ने दिनांक 29.1.2026 के आदेश के ज़रिए अंतरिम अग्रिम ज़मानत दी थी। वह आदेश नीचे दिया गया है:-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार खरे और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 88 सन् 2025 के तहत धारा 115(2), 351(2), 109(1), 3(2), 61(1), बी.एन.एस., थाना - सिंगरामऊ, ज़िला जौनपुर में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में नहीं है और उसका नाम एफ.आई.आर. दर्ज होने के सात दिन बाद, कुछ गोपनीय सूचना के आधार पर विवेचना के दौरान प्रकाश में आया। यह भी कहा गया है कि घायल व्यक्ति को लगी कोई भी चोट जानलेवा नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वादा करता है और विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थित होगा और यदि उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, का कहना है कि उन्हें इस प्रकरण में अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आरोप है कि राज सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति ने सूचनाकर्ता के पक्ष के लोगों पर हमला किया, जिससे सूचनाकर्ता को चोटें आईं। साथ ही यह भी बताया गया है कि लगी चोटों में से कोई भी जानलेवा नहीं है।

6. यह बताया जा सकता है कि सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अग्रिम जमानत पर फैसला करते समय, न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पिछले इतिहास, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सभी सबूतों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, साथ ही अभियुक्त की सटीक भूमिका पर भी ध्यान देना चाहिए।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों और प्रकरण से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, आवेदक **शुभम सिंह** की गिरफ्तारी की स्थिति में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार ₹50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ दिनांक 26.02.2026 तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और तय तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय उसे छूट न दे।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



(ii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

8. किसी भी शर्त का पालन न होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम ज़मानत को निरस्त कराने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. इस प्रकरण को दिनांक 26.02.2026 को दोपहर 2.00 बजे नए प्रकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

10. इस बीच, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे इस प्रकरण में निर्देश प्राप्त करें।

4. इससे पहले, दिनांक 29.1.2026 के आदेश के तहत आवेदक को अंतरिम अग्रिम ज़मानत दी गई थी और उस आदेश के अनुपालन में, आवेदक नियमित रूप से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हो रहा है। संबंधित विद्वान न्यायालय की आदेश-पत्रिका की एक प्रति आज दाखिल किए गए अनुपूरक शपथपत्र के साथ जमा की गई है। आवेदक नियमित रूप से विद्वान

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हो रहा है, इसलिए आवेदकगण से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्त को देखते हुए, दिनांक 29.1.2026 के आदेश के तहत आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को अब पूर्ण किया जाता है। आवेदक इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.1.2026 के आदेश में दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार विचारण पूरा होने तक अग्रिम जमानत पर रहेगा।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

7. दिनांक 29.1.2026 के आदेश उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन या दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सके।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

24 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।